

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

-::आदेश::-

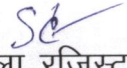
क्रमांक 427/दो-11-24/2019

नर्मदापुरम, दिनांक 20.04.2026

श्री बन्टी अहिरवार स्टेनोग्राफर न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पिपरिया का पीठासीन अधिकारी की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23.02.2026 एवं 24.02.2026 का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर दिनांक 23.02.2026 से 06.03.2026 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश, पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाकर किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 114 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।
- 2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

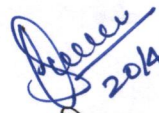

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1705/दो-11-24/2019

नर्मदापुरम, दिनांक 20.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं श्री बन्टी अहिरवार स्टेनोग्राफर, को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)